बॉम्बे सैपर्स एसोसियेशन

(बी एस ए)

रजि. ऑफिस : मुख्यालय, बॉम्बे इंजिनियर ग्रुप ॲन्ड सेंटर
किरकी, पुना - 411 003.
दूरभाष : 020 - 26682171
वेबसाईट : www.bsakirkee.org
ई-मेल : bsakirkee@gmail.net

BsA
(REGD 1999)

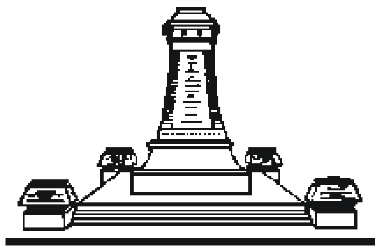

न्यूज लेटर
जनवरी 2007

नामांकित / चयनित बी एस ए प्रबन्धन कमेटी

चेयरमेन	-	ले. जन. नोबल थम्बूराज एसएम कर्नल कमाण्डेट बॉम्बे सैपर्स
उपचेयरमेन (इन-चेयर)	-	ब्रिगेडियर वी के भट्ट, एस एम, वी एस एम
ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी	-	मेजर जन. एस सी एन जटर (सेवानिवृत्त)
सचिव व कोषाध्यक्ष	-	कर्नल आशून बहल
सहायक सचिव	-	ग्रुप सूबेदार मेजर (ऑन. ले.) अवरार अहमद
सदस्य	-	मेजर जन. एस डी सोहनी (सेवानिवृत्त)
सदस्य	-	कर्नल एम एम भूषण (सेवानिवृत्त)
सदस्य	-	कर्नल पंकज मित्तल
सदस्य	-	सू. मेजर / ऑन. केप्टन लवाटे वसन्त मारूति (सेवानिवृत्त)
सदस्य / ओ आई सी बी एस ए	-	कर्नल सी पी रामचन्दानी

बी एस ए स्टाफ

हव / क्लर्क (सेवानिवृत्त) सुरेश कट्टा	-	ऑफिस सुपरिंटिडेंट, एकांऊटस् क्लर्क व कम्प्यूटर असिस्टेंट
सैपर / क्लर्क सन्तोष कुमार ए	-	कम्प्यूटर असिस्टेंट
एन के (एसीपी) / ड्राफ्टस्मैन नाहर सिंह	-	आफिस कोरडिनेटर

मुद्रक :-

अरूणोदय प्रिंटर्स

शततारका अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 53,
लोकमान्य कालोनी, पौड रोड,
वनाज इंजिनियरिंग लि. समोर,
कोथरूड, पुणे 411 038.
फोन नं. (020) 2539 92 04

बॉम्बे सैपर्स एसोसियेशन
न्यूजलैटर जनवरी २००७

विषय सूची

सम्पादकीय	4
चेयरमेन की प्रारंभिक टिप्पणी	5
वाइस चेयरमेन का प्रस्तावना संदेश	6
बी एस ए गतिविधियों पर पुनर्विचार	6
शिक्षा छात्रवृत्ती योजना	7
आपदा राहत अनुदान व स्पोर्टस् छात्रवृत्ति	10
यूनिट वार सदस्यता स्टेट : 31 दिसं 2006	13
महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ	16
कल्याणकारी योजनाएँ - नियम व प्रकार	18
शिक्षा छात्रवृत्ती फॉर्म	22
सदस्यत फॉर्म	23

बॉम्बे सैपर्स एसोसिएशन (बी एस ए)

सम्पादकीय

मुझे प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में प्रकाशित होने वाले वार्षिक बी एस ए न्यूजलेटर के आठवें संकलन को जारी करते हुए अति प्रसन्नता है।

इस संकलन में सभी सदस्यों को बी एस ए की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों, बजट-विवरण, अनुदान और उन्हें दी जानी वाली मदद के विषय में अवगत कराये जाने पर प्रकाश डाला जा रहा है।

सदस्यों को अन्य उपयोगी सूचनाएँ प्रदान करने का एक प्रयास किया गया है जिससे वे एशोसिएशन के विभिन्न प्रावधानों व अन्य सरकारी मामलों, जहाँ पर बी एस ए से सहायता ली जा सकती है, का अधिकाधिक लाभ उठाने मे सक्षम हो सकें।

प्रबन्धन कमेटी न्यूजलेटर पर आपकी राय जानना चाहती है और सुधार के लिए आपके सुझाव आमंत्रित करती है।

स्टेशन : किरकी

दिनांक 30 जनवरी 2007

(सी पी रामचन्दानी)
कर्नल
ओ आई सी बी एस ए

बॉम्बे सैपर्स एसोसिएशन (बी एस ए)
बी ई जी एण्ड सेण्टर में आयोजित आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक की झलकियाँ : दिनांक 07 जुलाई 2006

सामान्य

बी एस ए की आठवीं सामान्य बैठक जिमनास्टिक हॉल, बी ई जी एण्ड सेण्टर, किरकी में दिनांक 07 जुलाई 2006 को 1600 बजे आयोजित की गई। उपस्थित संख्या कम होने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई और 30 मिनट बाद 1630 बजे पुनः बुलाई गई। बैठक में कुल 410 सदस्य, जिनमें सेवानिवृत्त बॉम्बे सैपर्स मिलाकर 60 अफसर, 70 जेसीओज और 280 अन्य रैंक शामिल हुए। बैठक 1800 बजे समाप्त हुई।

चेयरमेन की प्रारंभिक टिप्पणी

बैठक में बुलाये जाने पर, चेयरमेन ले. जन. पी. एस रमन, पी वी सदस्य, एवीएसएम, एस एम, बी एस ए, ए डी सी, उपथल सेनाध्यक्ष और कर्नल कमाण्डेंट ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक में सभी बी एस ए सदस्यों का स्वागत किया। चेयरमेन महोदय ने कहा कि मार्च 2004 में कर्नल कमाण्डेंट का पदभार संभालने के बाद उन्हें बी एस ए की इस वार्षिक बैठक को सम्बोधित करने का तीसरी बार गौरव प्राप्त हुआ है।

आपने सदन को सूचित किया कि यह वार्षिक सामान्य बैठक चार्टड एआउण्टेंट द्वारा वर्ष 2005 - 2006 के लिए ऑडिट किये गये स्टेटमेंट ऑफ एकाउंटस् तथा आय - व्यय विवरण पर विचार व अनुमोदन करने हेतु बुलाई गई है जिसकी जानकारी सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है और वर्ष 2006-2007 के लिए अनुमानित बजट का अनुमोदन भी किया जा चुका है।

आपने जानकारी दी कि बी एस ए की सदस्यता सूची में सुधार हुआ है परन्तु आगे भी इसमें बढोतरी की गुंजाईश है। सभी कमान अधिकारी यकीन करेंगे कि सभी सेवारत सैनिक ऑर्गनाइजेशन के सदस्य है। ई आर ई पर कार्यरत बॉम्बे सैपर्स को भी संस्था का सदस्य बनाये जाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

चेयरमेन महोदय ने कहा कि उन्हें सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सदस्यता का आँकडा 32,493 तक पहुँच चुका है और फण्ड रु. 2.04 करोड तक बढ गया है। यह आँकडा प्रतिवर्ष बढता जायेगा, जो हमें सदस्यों की एक बडी संख्या को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में मदद करेगा।

धन्यवाद

जय हिंद !

उपाध्यक्ष के संबोधन टिप्पणी

वाईसचेयरमन, ब्रिगेडियर वी के भट्ट, पी वी एस एम, एस एम, कमाण्डेट बी ई जी एण्ड सेण्टर ने अपने प्रस्तावना संदेश मे चेयरमेन ले. जन. एस पी रमन, पी वी एस एम, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम, प्रबन्धन कमेटी के सदस्यों और सेवारत व सेवानिवृत्त बी एस ए सदस्यों का एसोसिएशन की आठवी वार्षिक सामान्य बैठक में स्वागत किया ।

तत्पश्चात् आपने आभार व्यक्त किया कि वह वाइस चेयरमेन के रूप में आठवीं बी एस ए वार्षिक सामान्य बैठक को सम्बोधित कर रहे हैं और सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि जो उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा गया है, उसे वह बखूबी निभायेंगे ।

बी एस ए का वित्तीय विवरण

बी एस ए की वित्तीय हालत में सुधार आया है, परन्तु आगे और भी सुधार की गुंजाइश है । 01 जुलाई 2006 को बी एस ए फण्ड का आँकडा रु. 1.96 था । 2 करोड रुपये की राशि को आर बी आई बोण्डस् में निवेश कर दिया गया है ।

कार्यवाही के मुद्दे

बैठक की अग्रिम कार्यवाही कर्नल संजीव कुमार, एस एम, सचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा संचालित की गई । बैठक के प्रमुख मुद्दे इस प्रकार थे -

(क) सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक की मिनट का पुष्टिकरण
(ख) वित्तीय वर्ष 2005-06 की बेलेंस शीट को स्वीकृति मिलना
(ग) 30 नवंबर 2006 की सदस्यत सूची / संख्या
(घ) वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए बजट
(ड) विचारणीय विषय
(ड़) प्रबन्धन कमेटी का चुनाव

विषय नं. 1 - सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक की मिनट का पुष्टिकरण

सर्वप्रथम सचिव ने यह सुनिश्चित किया कि क्या सभी सदस्यों को 15 जुलाई 2005 को सम्पन्न हुई सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक के मिनट की प्रति उन्हें न्यूजलेटर व बी एस ए वेबसाइट द्वारा प्राप्त हो गई है । तत्पश्चात् मिनट को कर्नल आर के झा और उनके बाद कर्नल अनुराग भसीन द्वारा पुष्टि व प्रस्तावित किया गया ।

विषय नं. 2 - वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए बेलेंस शीट को पास किया जाना

ऑडिट की हुई बेलेंस शीट (दि. 31 मार्च 2006) सदस्यों के द्वारा विचार के लिए सदन में रखी गई । 01 एप्रैल 05 से 31 मार्च 2006 की अवधि के लिए आय-व्यय ब्यौरा और प्राप्ति व भुगतान एकाउण्ट को भी विचार विमर्श के लिए सदन में पेश किया गया । किसी भी सदस्य द्वारा असहमति नहीं जताई गई । तत्पश्चात बजट को कर्नल बैंस और उनके बाद ले. कर्नल वाई एस भदौरिया द्वारा प्रस्तावित किया गया ।

आपदा राहत अनुदान :- वित्तिय वर्ष 2005-2006 के लिए आपदा राहत अनुदान योजना के अन्तर्गत 1,00,000/- रु. का बजट निर्धारित किया गया था, परन्तु आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने के कारण 1,28,400/- रु. की धनराशि 32 आवेदकों को वितरित की गई है । वाइस चेयरमेन ने सभी सदस्यों और कमान अधिकारियों से निवेदन किया वे

आपदा राहत अनुदान के लिए केवल उन्हीं के नाम भेजे जिन्हें सरकार या किसी अन्य एजेन्सी से मदद न दी गई हो। वाइस चेयरमेन ने इस मुद्दे पर अत्याधिक बल देते हुए कहा कि यह अनुदान केवल उन्ही के लिए लागू है जो किसी प्राकृतिक आपदा से पीडित हुए है।

खेलकूद छात्रवृत्ति : वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए खेलकूद छात्रवृत्ति के अन्तर्गत कुल 20000/- रु. की धनराशि निश्चित की गई थी। निम्नलिखित सैनिको के बच्चों को पाँच - पाँच हजार रु. का अनुदान आबंटित किया गया था।

(क) सूबेदार एस एन शर्मा - टी बी - II
(ख) हव. अवतार सिंह - 267 इंजीनियर रेजीमेंट
(ग) ले. कर्नल ए के मजूमदार - ओ सी, 1401 पायनियर कम्प।

स्पोर्टस् स्कॉलरशिप केवल उन्हीं बच्चों को दिया जायेगा, जिन्होने राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। यह स्कॉलरशिप बी एस ए सदस्य के एक ही बच्चे को अधिक से अधिक दो बार दिया जा सकता है।

विषय नं. 3 - सदस्यता संख्या 30 डिसे 2007

सदस्यता सूची में 30 नवम्बर 2006 को कुल सदस्य संख्या 32977 थी जिनमें अधिकारी 1015, जेसीओज - 1902 और जवान - 30060 थे।

विषय नं. 4 : कल्याणकारी योजनाएँ 2006-07 पर पुनर्विचार :

सचिव ने सदन को सूचित किया कि वित्त वर्ष 2006-07 के लिए कल्याणकारी योजनाएँ इस प्रकार हैं।

(क) **शिक्षा छात्रवृत्ति :** इस वर्ष के दौरान, 264 सदस्यों के बच्चों को (जवान 192, जेसीओज 48, अधिकारी 24) कुल 1,80,400/- रु. की शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना बनाई गई है। कम से कम 80% अंक प्राप्त करने वाले अधिकारियों के बच्चे और 70% अंक प्राप्त करने वाले जेसीओज / जवानों के बच्चे आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षा छात्रवृत्ति 2006-2007

Sl	Class	No & Amount	Total Amount	No of Awards OR	JCO	OFFR
(i)	V	44X500	22,000.00	32	08	04
(ii)	VI	44X500	22,000.00	32	08	04
(iii)	VII	44X500	22,000.00	32	08	04
(iv)	VIII	44X700	30,800.00	32	08	04
(v)	IX	22X800	17,600.00	16	04	02
(vi)	X	22X1000	22,000.00	16	04	02
(vii)	XI	22X1000	22,000.00	16	04	02
(viii)	XII	22X1000	22,000.00	16	04	02

Total Seats - 264 **(108)** **192 48 24**
Total Amount - Rs. 1,80,400.00

शिक्षा छात्रवृत्ति 2006-2007 की सूची

शिक्षा छात्रवृत्ति - वर्ष 2006-2007 के दौरान बॉम्बे सैपर्स के 244 बच्चों को शिक्षा छात्रवृत्ति के रुप में 1,64,700/- रु. वितरित किये जा चुके है ।

SUMMARY

OR's

Class	Application received	Vacancy Allotted	Recommended by board	Scholarship per head	Amt allotted	Amt to be disbursed	Cut of %
5	43	32	32	500	16000	16000	78.40%
6	65	32	32	500	16000	16000	82.80%
7	65	32	32	500	16000	16000	81.97%
8	58	32	32	700	22400	22400	80.00%
9	39	16	16	800	12800	12800	83.40%
10	44	16	17	1000	16000	17000	80.26%
11	08	16	08	1000	16000	8000	65.33%
12	12	16	12	1000	16000	12000	67.20%
TOTAL	**334**	**192**	**181**	**-**	**1,31,200**	**120200**	

JCO's

Class	Application received	Vacancy Allotted	Recommended by board	Scholarship per head	Amt allotted	Amt to be disbursed	Cut of %
5	04	08	04	500	4000	2000	90.00%
6	27	08	08	500	4000	4000	87.70%
7	24	08	08	500	4000	4000	92.15%
8	30	08	08	700	5600	5600	89.70%
9	21	04	04	800	3200	3200	88.40%
10	27	04	04	1000	4000	4000	87.46%
11	10	04	04	1000	4000	4000	77.00%
12	18	04	04	1000	4000	4000	86.00%
TOTAL	**161**	**48**	**44**	**-**	**32800**	**30800**	

OFFRS							
5	02	04	02	500	2000	1000	90.60%
6	02	04	02	500	2000	1000	74.00%
7	04	04	04	500	2000	2000	81.90%
8	03	04	03	700	2800	2100	74.20%
9	03	02	02	800	1600	1600	84.00%
10	02	02	02	1000	2000	2000	82.00%
11	02	02	02	1000	2000	2000	79.80%
12	03	02	02	1000	2000	2000	74.40%
TOTAL	**21**	**24**	**19**	**-**	**16400**	**13700**	
G.Total	**516**	**264**	**244**	**-**	**1,80,400**	**1,64,700**	

बोर्ड की सिफारिश

(क) छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश कॉलम में दर्शाया गया है।

(ख) कुछ केटेगरी में जहाँ आवेदन पत्र कम संख्या में प्राप्त हुए हैं, धनराशि को किसी अनुदान / खेल कूद छात्रवृत्ति के रुप में बच्चों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

पात्रता

10 वर्ष से 20 वर्ष के बीच की आयु के बीएसए सदस्यों के बच्चे छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :-

कुल अंक	65% से ऊपर	अधिकारी बच्चों के लिए
कुल अंक	65% से ऊपर	जेसीओज के बच्चों के लिए
कुल अंक	65% से ऊपर	जवानों के बच्चों के लिए

इसके लिए वह तिथि मान्य होगी जिस दिन बच्चा वार्षिक परीक्षा / सत्रीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है। छात्रवृत्ति उस कक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान की जायेगी जिस कक्षा में वह पढ रहा है।

(ख) **आपदा राहत अनुदान -** वर्ष के दौरान इस अनुदान के लिए कुल धनराशि 1,50,000/- रु. निर्धारित की गई थी । 30 नवम्बर 2006 तक कुल 54 आवेदन प्राप्त हुए हैं । वर्ष 2006-07 के लिए आपदा राहत अनुदान के रूप में कुल 27 आवेदकों को रु. 1,10,000/- की धनराशि आबंटित की गई थी ।

(ग) **खेलकूद छात्रवृत्ति -** वर्ष 2006-07 के दौरान, बी एस ए द्वारा सदस्यों के बच्चों को पाँच पाँच हजार रु. की पाँच छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायेगी ।

No.	Name of Child	Parent Rank & Name	Unit
1	AK Shriwastav	NB/SUB Shriastav	116 ER
2	Reena Yadav	Sub Maes Chandra	TB - I
3	Sumeer Bahl	Col Ashun Bahl	GP HQ
4	AK Thap	NB / SUB Tuk Bahadur	TB - I

(घ) **गुरूनाम ब्यॉइज हॉस्टल / ए पी एस को सहायता -** गुरूनाम ब्याइज हॉस्टल के लिए इस वर्ष 1,00,000/- रु. का अनुदान निश्चित किया गया है । ए पी एस ब्यास में प्रवेश लेने वाले छात्र को अधिकारी, जे सी ओज व जवानों के बच्चों के लिए ऐसे स्कूलों में जमा की जाने वाली शुल्क का 20% अनुदान दिया जायेगा । इस अनुदान के लिए पात्रता की सीमा मेरिट के आधार पर निश्चित की जाती है, परन्तु छात्र को 75% से अधिक अंक प्राप्त करना आवश्यक है । प्रत्येक कक्षा में छात्रवृत्ति प्रदान की जाने वाले छात्रों की संख्या सीमा निम्नवत् हैं -

केटेगरी	प्रति कक्षा छात्रसंख्या	कक्षाओंकी संख्या कक्षा 1 से 12	छात्र संख्या
अधिकारी	1	12	12
जेसीओज	2	12	24
जवान	12	12	144
कुल			**180**

विषय नं. 5 - वर्ष 2006-07 के लिए बजट

ब्याज दर में कमी आने के कारण सदस्यता आँकडों में वृद्धि के बावजूद भी बी एस ए द्वारा प्राप्त की गई आय में कोई विशेष बढोतरी नहीं हुई हैं । सचिव व कोषाध्यक्ष ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए प्रस्तावित बजट की जानकारी सदन को दी गई और बेलेंस निचे दिया गया है ।

प्रस्तावित बजट 2006-07

वर्ष 2006-07 की अनुमानित आय — 16.10 लाख रु.

व्यय

शिक्षा छात्रवृत्ति	1.80
स्पोर्टस् छात्रवृत्ति	0.20

गुरूनाम ब्याइज छात्रावास /	
ए पी एस	1.00
आपदा राहत अनुदान	1.50
वी सी डे पर शहीदों के	
सम्बन्धियों को अनुदान	0.75
न्यूज लेटर	1.10
कामरेडशिप (ममेंटो)	1.00
कुल	**7.35**

अन्य खर्च

वेतन (सुपरवाइजर 5000 प्रति माह /	
ड्राईवर 2000/-)	0.59
कम्प्यूटर का रखरखाव	0.50
ऑडिट शुल्क	0.12
टेलीफोन बील	0.06
कार्यालय सामग्री (स्टेशनरी, प्रिटिंग	
पोस्टेजन्यूजलेटर, के अलावा इ)	0.12
सदस्यता कार्ड	0.20
मिश्रित / रिजर्व	0.25
वेबसाइट का सुधार	0.16
कुल	**2.00**
कुल योग	**9.35**

6 लाख रुपये के बेलेंस राशि को अन्य कल्याणकारी कार्यों या ऑकडों की संख्या में मिलाकर प्रयोग में लाया जायेगा।

सदन से प्रस्तावित बजट की जाँच और बजट पर अपनी अपनी राय / सुझाव देने के लिए निवेदन किया गया। सदस्यों द्वारा कोई प्वाइण्टस् नहीं दिये गये। सदस्यों की ओर से कोई अन्य प्वाइण्ट / सुझाव न होने पर बजट को कर्नल एा राफत और मेजर एस मण्डोलिया द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया गया।

विचारणीय मुद्दे

1 बी एस ए द्वारा एच पी सी एल (पेट्रोलपंप) परिसर की स्थापना - पेट्रोल पंप परिसर की स्थापना के लिए एचपीसीएल को नामांकित किया गया और बॉम्बे - पूना हाईवे पर सर्वे नं. 230 प्लाट को रक्षामंत्रालय से दीर्घकालीन लीज के आधार पर ले लिया गया है। वैधता प्रपत्र डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, नई दिल्ली को सिफारिश के लिए भेज दिये गये हैं और स्वीकृति के लिए रक्षामंत्रालय भेज जायेंगे। इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत् है -

(क) कुल कीमत 100 लाख रु. (एचपीसीएल की भागीदारी के साथ)

(ख) भूतपूर्व बॉम्बे सैपर्स को रोजगार

(ग) बी ओ टी (Build-Operate-Transfer) के आधार पर सेना व एचपीसीएल के बीच, संचालित किया जाना

(घ) 60% : 40% के अनुपात में राजस्व की भागीदारी

2 **रोजगार परामर्श -** बी एस ए रोजगार कार्यालय (BSA Placement Cell) में परामर्श अधिकारी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से एक सेवानिवृत्त अधिकारी ब्रिगेडियर आर के सिंह का चयन किया गया है। इससे व्यावसायिक क्षेत्र में पुणे और उसके आसपास रोजगार के अवसर जुटाने में सुविधा होगी। उनकी नियुक्ति का कार्य प्रगति के आधार पर, मार्च 2007 के बाद आगे जारी रखने के लिए पुन: आंकलन किया जायेगा। सेवानिवृत्त हो रहे सभी सैनिकों का रिकार्ड लगातार अपग्रेड किया जा रहा है।

3 **ट्रेनिंग केप्सूल -** अब तक, पूर्व रिटायरमेंट ड्रिल की अवधि के साथ एक हप्ते का ट्रेनिंग केप्सूल को भी जोडा गया है (जिस की अवधि वर्तमान समय में एक माह है) । सेवानिवृत्त होने के लिए सैनिकों के अटैचमेंट पीरियड को बढाकर तीन माह किया जायेगा । विभिन्न ट्रेनिंग केप्सूल संचालन के लिए तदनुसार पहल की जा रही है । सी आर ओ ऐसे तौर तरीकों की छानबीन कर रहे हैं, जिनसे प्री-रिलीज ड्रिल में आनेवाले पी वी ओ आर का अटैचमेंट पीरियड तीन माह के लिए बढाया जा सके ।

4 रोजगार सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्टाफ व आधारभूत साजो-सामान की व्यवस्था और कार्यालय सुधार के लिए योजनाओं को कार्यरूप दिया जा रहा हैं ।

पुनर्वास निदेशालय के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है । उनके द्वारा प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह में प्री - रिटायारमेंट ड्रिल के लिए अटैच पी बी ओ आर के प्रत्येक बैच के लिए एक प्रजेण्टेशन आयोजित की जाती है । डायरेक्टर जनरल, रीसेटलमेन्ट के साथ कई योजनाओं पर विचार विमर्श किया जा चुका है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है।

वाइस चेयरमेन ने बताया कि उन्होंने डायरेक्टर जनरल से स्वयं बातचीत की है और उनके साथ हुई बातचीत के आधार पर निम्नलिखित निर्देश दिये जा चुके हैं -

(अ) वर्तमान में चल रही एक माह की पेंशन ड्रिल की अवधि को तीन माह किया जायेगा । डायरेक्टर जनरल पुनर्वास निदेशालय ने बताया था कि ऐसा कुछ ट्रेनिंग सेण्टर कर भी रहे है ।

(ब) सभी कमान अधिकारियों को एक डी ओ भी लिखा गया है कि वे यकीन करें कि जो पी बी ओ आर रिटायरमेंट जाने वाले है उनका पासपोर्ट यूनिट में रहते हुए ही बनवाया जाय । इससे विदेश में रोजगार के लिए आवेदन करने में मदद मिलेगी ।

(क) निम्नलिखित विषयों के लिए संपर्क किया जा चुका है जिन पर एक बार अवलोकन किया जायेगा । पुनर्वास डायरेक्टर जनरल द्वारा औपचारिक स्वीकृति दे दी गई है ।

ग्रुप फार्म पर BAIF द्वारा कृषि / ग्रामीण स्वरोजगार योजना ट्रेनिंग के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की जायेगी । इसमें rganic farming, Sericuturs, bee-keaping floriculture, vormiculture शामिल होगे । इसे पुनर्वास डायरेक्टर जनरल द्वारा पूर्ण या आंशिक ग्रुप से फण्ड भी दिया जायेगा । इसके लिए एक एस ओ सी भी भेजा जा चुका है । आवश्यकता पडने पर बी एस ए से 5 लाख रु. तक ऋण भी लिया जायेगा ।

पुणे वि. वि. द्वारा डिसचार्ज ड्रिल के दौरान जे सी ओज / जवानों के लिए एक लघु प्रबन्धन कोर्स भी चलाया जायेगा ।

सहकारिता क्षेत्र के अनुबन्धन के साथ पर्सनेलिटी डिवलपमेंट कोर्सों को भी चलाया जायेगा । इस कार्य के लिए गुडविल भूतपूर्व सैनिक सोसाइटी के मेजर सोनलकर (सेवानिवृत्त) की सेवाओं को भी लिया जायेगा, जिन्हें पुनर्वास निदेशालय द्वारा पूर्ण या आंशिक रुप से मानदेय के रूप में भुगतान दिया जायेगा ।

STATE OF BSA MEMBERSHIP AS ON 31 DEC 2006

Unit		Members		Total
	Officer	JCO	OR	
101 ENGR REGT	26	36	814	876
102 ENGR REGT	32	40	967	1,038
103 ENGR REGT	26	22	819	867
104 ENGR REGT	23	41	851	915
105 ENGR REGT	21	23	862	906
106 ENGR REGT	22	24	809	855
107 ENGR REGT	28	32	886	946
108 ENGR REGT	22	23	783	828
109 RAPID(S) ENGR REGT	23	14	782	819
110 ENGR REGT	31	35	825	891
111 ENGR REGT	20	26	790	836
112 ENGR REGT	31	27	941	999
113 ENGR REGT	20	22	789	831
114 ARMED ENGR REGT	29	24	1,062	1,115
115 ENGR REGT	18	23	865	906
116 ENGR REGT	25	27	751	803
117 ENGR REGT	29	27	834	890
118 ENGR REGT	25	31	965	1,021
119 ASLT ENGR REGT	25	26	865	916
120 ENGR REGT	13	22	757	792
201 BD COY	2	4	89	95
202 BD COY	3	6	100	109
203 BD COY	4	7	85	96

Unit	Members			Total
	Officer	JCO	OR	
235 IWT	2	8	284	294
236 IWT	3	12	207	222
267 ENGR REGT	24	24	943	991
268 ENGR REGT	20	25	710	755
269 ENGR REGT	31	29	905	965
270 ENGR REGT	9	20	792	821
411 (I) PARA FD COY	5	2	222	229
414 (I) ENGR SQN	4	2	205	211
652 ENGR Plant Unit	3	4	113	120
656 ENGR BR UNIT	2	2	100	104
702 ENGR PLANT UNIT	0	9	131	140
71 TASK FORCE	2	1	178	181
72 TASK FORCE	3	0	55	58
969 RLY ENGR REGT (TA)	1	0	0	1
970 Rly.ENGR REGT(TA)	1	0	2	3
BEG & CENTRE	70	273	3,638	3,981
MISC	97	47	109	253
RETIRED	241	882	4,241	5,364
Total	**1,016**	**1,902**	**30,126**	**33,044**

भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के कल्याण व पुनर्वास से सम्बन्धित शासकीय आदेश

भूतपूर्व सैनिक / युद्ध विधवायें / 100% विकलांग व उनके आश्रितों के लिए रिजल्ट ऑरियेंटड लीगल एड सैल -

ले. कर्नल आर एस पवार (सेवा निवृत्त) अधिवक्ता ने आने पत्रांक 15760/Legal Services / RSP / 97 दि. 20 अक्टूबर 2005 के माध्यम से सूचित किया है कि कल्याणकारी उपायों के अन्तर्गत उपलिखित श्रेणी को निम्नलिखित पहलुओं पर निःशुल्क परामर्श / मदद प्रदान की जायेगी -

(क) कोर्ट मार्शल के मामले और सम्बन्धित याचिकाएँ ।

(ख) पेंशन के मामले, बैंक ऋण सुविधायें और वित्तीय संस्थाएँ जो स्व-रोजगार योजना के अधीन है, जीवनबीमा भुगतान, मेडीकल बोर्ड आउट पर्सनल को मिलनेवाले लाभ / हक और अपंगता पेंशन ।

(ग) मालिकाना / किरायेदार संबन्धी विवाद और आबंटन ।

(घ) वाहन दुर्घटनाएँ व उनका दावा और हरजाना आदि ।

(ड) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधीन उपभोक्ता अधिकार ।

(च) हथियार लाइसेंसी का नवीनीकरण ।

(छ) एफीडेविट की ड्राफ्टिंग व टाइपिंग ।

(ज) अन्य कल्याणकारी मसलों से सम्बन्धित अन्य सूचनाएँ और परामर्श ।

नोट :- टेलीफोन या किसी अन्य माध्यम से समय से पूर्व सूचना मिलने पर, सैनिक आराम गृह में बाहरी जवानों के लिए आवास व भोजन की व्यवस्था की जायेगी ।

कृपया संपर्क करे

कार्यालय : चेम्बर नं. 81, बार लाइब्रेरी के सामने, डिस्ट्रक सिविल कोर्ट, मेरठ (UP) 250001
टेलीफोन : 0121 - 2671036
मोबाईल : 9837691655 / 9899694215 / 9837274333

निवास : मकान नं. G - 195
पाण्डव नगर, मेरठ - 01

स्टेट सैनिक बोर्ड संगठन को मदद - रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार केन्द्रीय अंशदान के तहत डिफेंस इस्टीमेट से राज्य व जिला कल्याण अधिकारियों को वेतन, भत्ते व संस्था शुल्क का 50% भुगतान करती है ।

डिफेंस सर्विसज् इस्टीमेटस से 17.70 करोड रु. की धनराशि राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके सैनिक बोर्ड संगठन के रखरखाव के लिए केन्द्रीय सरकार का 50% हिस्से के रूप में प्रदान की गई है ।

गंभीर बीमारियों के लिए मदद

उन सभी भूतपूर्व सैनिकों को, जो किसी गंभीर बीमारी से पीडित हैं जिसका इलाज सैनिक अस्पतालों में नहीं हो सकता है, सिविल अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है । बशर्ते उन्हें ऐसी सहायता किसी अन्य जगह से मुहैया न कराई गई हो । गंभीर बीमारी के इलाज के लिए के एस बी द्वारा पीबीओआर को 90% तक और अधिकारियों के लिए 75% तक आर्थिक सहायता अभी दी जा रही है । प्रति वर्ष केंसर व गुर्दे के लिए 75,000/- रु की मदद की जा रही है ।

अब, ई सी एच एस ने कार्य करना शुरू कर दिया है और ये रक्षा पेंशन भोगियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे जिनकी कुल संख्या जिला सैनिक वेलफेअर ऑफिसों के पास पंजीकृत भूतपूर्व सैनिक व विधवाओं की संख्या का 60% हैं ।

महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ

दोहरे सेना मेडल के लिए वित्तीय भत्ते - बहादुरी के लिए अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक वित्तीय भत्ते रक्षामंत्रालय पत्र सं. 3(8)98/D (Cermomals) दि. 18 मार्च 1999 के तहत लागू किये गये थे । फिर भी, बार सेना / नौ सेना / वायु सेना मेडल के लिए वित्तीय भत्ता की मान्यता समाप्त कर दी गई थी । बार सेना / नो / वायु सेना मेडल के लिए उपर्युक्त भत्ते की मान्यता के लिए सी डब्ल्यू डायरेक्टोरेट / ए जी ब्रान्च द्वारा रक्षा मंत्रालय के साथ एक मामला उठाया गया था । रक्षामंत्रालय ने अब एक अतिरिक्त सूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक दोहरे अर्थात बार सेना / नौ / वायु सेना मेडल के लिए वित्तीय भत्ते के रूप में वही धनराशि दी जायेगी जो एक ऑरिजीनल अवार्ड के लिए लागू है ।

अमेनिटीग्राण्ट - सी डब्ल्यू निदेशालय द्वारा रक्षा मंत्रालय के साथ एक मामला उठाया गया था जो ट्रुप्स के लिए अमेनिटी ग्राण्ट की दर बढाने के सम्बन्ध में था क्यो कि वर्तमान दरें अपर्याप्त पायी गयी थी । सह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और 100% की बढोतरी कर दी गई है । (संदर्भ : रक्षा मंत्रालय पत्रांक 15(93)/D/83/ D(Res) J & C / 2005 दिनांक 23 अगस्त 2005)

संख्या	पुरानी दर	नया दर
नफरी 100 तक प्रति व्यक्ती	रु. 37.50 प्रति व्यक्ती	रु. 75
नफरी 101 से 200	रु. 30 प्रति व्यक्ती कमसे कम रु. 50/-	रु. 60 प्रति व्यक्ती कम से कम अनुदान सीमा 7,000/-
नफरी 201 से 800	रु. 22.50 प्रति व्यक्ती कमसे कम रु. 5250	रु. 45 प्रति व्यक्ती कमसे कम 10,500/-
नफरी 801 और	रु. 15 प्रति व्यक्ति कमसे कम 15,000	रु. 30 प्रति व्यक्ति कमसे कम 30,000/-
अस्पताल अनुदान	रु. 1.50 प्रति बिस्तर	रु. 3 प्रति बिस्तर

फील्ड सेवा रियायतों का विस्तार

आपरेशन राइनो - रक्षा मंत्रालय पत्रांक 8(3)/91/ D(Pay & Service) दि. 10 जून 1992 के तहत् सर्व प्रथम फील्ड सेवा रियायत 6 माह की अवधि के लिए स्वीकृत की गई थीं जिसमें छ:माही आधार पर बढोतरी की जाती रही है । ये रियायतें रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 8(3)/91/D/(Pay & Service) दि. 23 अगस्त 2006 के अनुसार 14 दिसम्बर या ऑपरेशन की समाप्ति तक, जो भी पहले लागू हो, बढाई गई थी।

आपरेशन हिफाजत - फील्ड सेवा रियायत प्राथमिक तौर पर रक्षा मंत्रालय पत्र सं. 2(1)/97/D(Pay & Services) दि. 3 जून 97 के तहत् 15 फरवरी 97 से माह के लिए मंजूर की गई थी और समय समय पर बढाई गई थी जिसे रक्षा मंत्रालय पत्र सं. 8(1)/97/ D(Pay & Services) दि. 23 अगस्त 2006 के अनुसार 31 दिसम्बर 2006 या ऑपरेशन के अन्त तक, जो भी पहले लागू हो, बढा दिया गया था ।

महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ

अधिकारी रैंक से निचले रैंक (PBOR) के कार्मिकों की पेंशन मे वृद्धि

भारत सरकार के पत्रांक 14(3)/2004 - D(Pen / Sers) / खण्ड III दि. 01 फरवरी 2006 के तहत् वर्ष 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पी बी ओ आर की पेंशन को उस रैंक के वेतनमान के 01 जनवरी 1996 के पश्चात् वेतनमान के न्यनतम स्तर के मौजूदा प्रावधान की अपेक्षा अधिकतम् स्तर के संदर्भ में संशोधित किया जायेगा जिसमें वे सेवानिवृत्त हुए थे। इस प्रावधान से समस्त सेवारत पीबीओआर को काफी अधिक लाभ होगा क्योकि वर्तमान प्रावधान उनके लिए लाभदायक नही थे। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कुछ पीबीओआर की समेलित पेंशन की राशि उनके द्वारा धारित रैंक के न्यूनतम वेतनमान के समान संशोधित राशि से अधिक थी। इसलिए पीबीओआर को उनके वेतनमान के अधिकतम स्तर पर जिस पर वे सेवानिवृत्त होंगे, समान संशोधित राशि प्रदान करेने के लिए रक्षा मंत्रालय के समक्ष मामला प्रस्तुत किया गया। इस मामले को स्वीकार कर लिया गया और इसके अलावा सिपाही, नायक तथा हवलदार के रैंक का मान पूर्व तथा भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए अधिकतम 30 वर्ष की क्वालीफाइंग सर्विस तक क्रमशः 10, 8 व 6 वर्ष हो गया है। अब तक पीबीओआर को पाँच वर्षों का समान महत्त्व (Weightage) दिया जा रहा था। यह लाभ केवल सेवा पेंशन के संबन्ध में दिया जायेगा और दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू होगा। इन प्रावधानों से सेवानिवृत्त हो रहे पीबीओआर के साथ साल सेवानिवृत्त हो चुके पीबीओआर को भी लाभ होगा।

प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान - पेंशनर / उसकी पत्नी द्वारा प्रचलित संयुक्त बैंक खाते में पेशन जमा करना -

पेंशनर / उसकी पत्नी, जिसके पक्ष में पीपीओमें पारिवारिक पेंशन का प्राधिकार मौजूद है, द्वारा संचालित संयुक्त बैंक खाते में पेंशन जमा करने के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा पेंशन जमा करने संबन्धी अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। यह संयुक्त खाता कुठ निर्धरित निबंधन एवं शर्तों के अधीन पेंशनर। उसकी पत्नी द्वारा संचालित किया जायेगा। यह अनुदेश भारत सरकार, रक्षामंत्रालय पत्र सं. 1527/ बी / 05 / डी / (पेंशन/सेवाएँ) दि. 08 फरवरी 2006 द्वारा आवश्यक परिवर्तनों सहित रक्षा कार्मिकों पर लागू होंगे। मौजूदा पेंशनर भी इस सुविधा का उपयोग बैंक की शाखा के निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करके कर सकते हैं।

सुनिश्चित कैरियर पदोन्नती (एसीपी) प्राप्त नायक एवं हवलदार को पेंशन सम्बन्धी लाभ -

भारत सरकार के दिनांक 10 जनवरी 2006 के पत्र सं. बी/39022/एजी/पीएस - 5 (Policey) 29/ए/डी/ (पेंशन/सेवाएँ)/06 द्वारा जारी आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि जिन पीबीओआर को सुनिश्चित कैरियर पदान्नती (एसीपी) प्रदान कर दिया गया है, उनके संबन्ध में पेंशन की गणना उनको प्रदत्त एसीपी के अन्तर्गत उनके वेतनमान के अधिकतम स्तर पर की जाएगी जिसमें उनके द्वारा धारित रैंक तथा ग्रुप का 50% उच्चतम वर्गीकरण भत्ता, उनको दिया जायेगा। यह इस शर्त पर शामिल होगा कि बढा हुआ वेतन उनकी सेवा छोडने से पूर्व के 10 माह तक निरन्तर रहा हो।

बीमा सलाहकार

मैक्स न्यूयॉर्क जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड ने मैक्स न्यूयॉर्क के लिए बीमा परामर्श दाताओं हेतु भूतपूर्व रक्षा अधिकारियों को प्रदान करने के लिए डी जी आर से संपर्क किया है । बीमा परामर्शदाताओं के लिए अधिकारियों को चुनने के लिए सेमिनार आयोजित किये जायेंगे । मैक्स - न्यूयॉर्क द्वारा प्राथमिक प्रशिक्षण दिया जाता है, तदुपरान्त बीमा सलाहकारों को कमीशन पर कार्य करना होता है । इस योजना के तहत प्राप्त आमदनी को बीमा सलाहकार द्वारा बिक्री की गई पोलिसीज की संख्या । से जोड दिया जाता है । सहायता, प्रशिक्षण और साजो-सामान मैक्स-न्यूयॉर्क द्वारा प्रदान किया जाता है । इच्छुक भूतपूर्व सैनिक, अधिकारी, विधवायें / आश्रित आवश्यक जानकारी निम्न पते से प्राप्त कर सकते है :-

मैक्स न्यूयॉर्क जीवन बीमा लिमिटेड
कॉरपोरेट कार्यालय
डीएलएफ स्कायर बिल्डिंग, 11th प्लोर, जेकरेण्डा मार्ग, डीएलएफ सिटी, फेज II,
गुडगाँव (हरियाणा) टेलि : 0124 - 2561717

किडजी शिक्षा केंद्र

किडजी का उद्देश्य है उन युवा बुद्धिजीवियों को चहुँमुखी विकास के लिए विशेष पर्यावरण में सीखने व प्रगति करने के लिए हर संभव मदद करना । किडजी जी इण्टरएक्टिव्ह लर्निंग सिस्टम लि. का एक ऐसा उपबन्ध है जो जी टेलिफिल्मस् लिमिटेड (ईजल ग्रुप का एक हिस्सा) का शैक्षणिक हथियार है ।

रक्षा कर्मियों के लिए विकल्प - जी इण्टरएक्टिव्ह लर्निंग सिस्टम रोजगार में एक Franchise of kid zee का अवसर प्रदान करती है । विभिन्न पोलिसीज निम्न लिखित है ।

(क) वीरता पुरस्कार विजेताओं की विधवा लागू फ्रेन्चीज शुल्क का 11% चार्ज किया जाता है ।
(ख) रक्षा कर्मियों की विधवा लागू फ्रेन्चीज शुल्क का 25% चार्ज किया जाता है ।
(ग) वीरता पुरस्कार विजेता जीवित सैनिक - लागू फ्रेन्चीज शुल्क का 50% चार्ज किया जाता है ।
(घ) भूतपूर्व सैनिक - लागू फ्रेन्चीज शुल्क का 80% चार्ज किया जाता है ।
(ड) सेवारत रक्षाकर्मिओं के पति / पत्नी - लागू फ्रेन्चीज शुल्क का 85% चार्ज किया जाता है ।

पात्रता

(क) शैक्षिकतौर पर योग्य और किडजी सेण्टर चलाने व प्रबन्ध करने में सक्षम ।
(ख) प्रस्तावित सेण्टर का हस्तक्षेप नही होना चाहिए या संचालित किये जा रहे किसी भी किडजी सेण्टर के प्रान्त के अन्दर नही आना चाहिए या किसी अन्य प्रस्तावित किडजी सेण्टर के अधीन नहीं होना चाहिए ।
(ग) श्रेणी को स्तर को सूचित करने के लिए आवश्यक कागजात प्रदान करना ।

कार्यसामग्री - इन्फ्रास्ट्रक्चर में 2 से 4 कक्ष होंगे जो प्लेस्कूल के लिए प्रयोग किये जा सकें और सुबह नर्सरी के लिए तथा शाम को क्रिया कलाप सेण्टर के लिए काम में आ सके । प्ले ग्रुप और नर्सरी 2-3 वर्ष और 3-4 वर्ष की आयु ग्रुप के बच्चों के लिए क्रमश: होंगे । क्रिया कलाप सेध्टर का उद्देश्य 4-12 वर्ष की आयु ग्रुप के बच्चों के लिए है ।

भूतपूर्व सैनिक माल निर्माताओं को 10% मूल्य सब्सिडी की मंजूरी

स्वरोजगार की एक योजना मूल्य सब्सिडी की स्वीकृति से सम्बन्धित है जिससे भूतपूर्व सैनिकों को एक वित्त वर्ष में रक्षा संस्थाओं को सप्लाई किये गये सामान की कीमत या 50,000/-, जो भी कम हो, का 10% मूल्य सब्सिडी की मंजूरी प्रदान की गई है। यह मूल्य सब्सिडी भूतपूर्व सैनिक माल निर्माताओं को पाँच वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है। अन्ततः यह देखा गया है कि कोई भी भूतपूर्व सैनिक इस योजना का लाभ नही उठा पा रहा है। इस का कारण शायद भूतपूर्व सैनिक निर्माताओं के बीच जानकारी का अभाव है।

उपर्युक्त कारण को ध्यान में रखते हुए सभी भूतपूर्व सैनिकों का ध्यान रक्षा मंत्रालय पत्र सं. 3331/POL/11/DGR/SE, 11/175/US-D(Res) दि. 21 मई 1992 की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष जानकारी के लिए भूतपूर्व सैनिक अपने नजदीकी आर एस बी / जेड एस बी या निदेशक (स्वरोजगार) डायरेक्टोरेट जनरल पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लाक 4, आर के पुरू, नई दिल्ली 110066 से संपर्क कर सकते है।

थल सेना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (Armi ITI)

थलसेना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवानिवृत्त हो रहे या सेवा निवृत्त हो चुके जे सी ओज/ अन्य रैंक को उनकी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में 6 विभिन्न व्यवसायों में पुनर्वास प्रशिक्षण प्रदान करता है जिस से कि वे सेवा निवृत्त के बाद अपना दूसरा कैरियर प्रारंभ कर सके। इस संस्थान द्वारा संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों तथा अन्य अपेक्षित सूचना नीचे दिए अनुसार है।

	पाठ्यक्रम	अवधि वर्षों में	शैक्षिक योग्यता संख्या	सीट
(क)	कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रेमिंग सहायक	01	10+2	20
(ख)	वेल्डर (गैस एवं इलैक्ट्रिक)	01	10 वीं	14
(ग)	इलैक्ट्रिशियन	02	10 वी विज्ञानसहित	10
(घ)	इलैक्ट्रानिक्स मैकेनिक	02	10 वी विज्ञान व गणित सहित	19
(ड)	रेफ्रिजरेशन एवं वातानुकूलन मैकेनिक	02	10 वी विज्ञान व गणित सहित	19
(च)	मेकेनिक (मोटर वाहन)	02	10 वी विज्ञान व गणित सहित	19

यह पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष 01 अगस्त को आरंभ होते है। यह थलसेना और हरयाणा सरकार का संयुक्ता उपक्रम है जो कि रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों पर कार्य करता है। प्रशिक्षण पूरा करने पर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं जो कि भारत में संचालित अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समान पूरे भारत में मान्यताप्राप्त होते हैं। इन पाठ्यक्रमों के लिए निम्न लिखित पते से आवेदनपत्र प्राप्त किए जा सकते है और सीधे भेजे चा सकते हैं।

डीन
थलसेना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एलन्वाई लाइंस, अंबाला छावनी - 133001 (हरियाणा)
फोन : 0171 - 2611217 (सिविल) 3425 (सेना)

पीबीओआर के प्रशिक्षण हेतु डी जी आर की पहल

औसत : 60,000 सशस्त्र सेना कर्मी प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें से केवल 2 से 3 हजार तक अधिकारी होते हैं । इतना बडा प्रशिक्षित व अनुशासित मानव संसाधन, जो कि 35 से 45 वर्ष की आयु ग्रुप का है, राष्ट्रीय हित में बरबाद नहीं होने दिया जा सकता । सेवा से मुक्त होते ही पी बी ओ आर का एक बडा समूह अपने अपने मूल निवास स्थान पर वापस चला जाता है । एक बार जब नौकरी से प्राप्त बडी धनराशि समाप्ति के कगार पर होती है तब उन्हें जीवन की वास्तविकता का आभास होता है और फिर अपने गाँव के आस पास नजदीक ही किसी रोजगार की तलाश में भटकते हैं । अन्ततः वे दो से तीन हजार रुपये प्रतिमाह के वेतन पर अपना भरण-पोषण करने लगते हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभा की ऐसी बरबादी और पर्यावरण द्वारा उनका शोषण होते हुए देख, डी जी आर ने रेजीमेण्टल / कोर सेण्टरों पर 2-5 दिन का कैरियर - ऑरियंटिड कैप्सूल की पहल की है जिससे डिसचार्ज ड्रिल के दौरान पी बी ओ आर को चुने हुए भूतपूर्व अधिकारियों, रेजीमेण्टल विशेषजनों और प्रोस्पेक्टिव इम्पोलियर्स की टीम द्वारा पुनर्जागरूकता प्रदान की जाती है । इसका मुख्य उद्देश्य रिटायर हो रहे पी बी ओ आर को सिविल में जाने के बाद उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने के लिए निर्देश देना है यहाँ तक कि पहले चाहे उन्हें काफी समय तक इन्तजार करना पडा हो ।

हाल ही में, ऐसी अफसर्स की टीमें 14 जी टी सी सबातू, बी ई जी सेण्टर कडकी, बी ई जी सेण्टर, किरकी, राजराइफल सेण्टर, एम आई आर सी अहमदनगर, आर्मड कोर सेण्टर एण्ड स्कूल, आर्टी सेण्टर नासिक का विजिट कर चुकी हैं ।

ये विजिट हर माह प्रत्येक सेण्टर में किये जाने के लिए सुनुयोजित किये गये हैं जिससे पेंशन / डिसचार्ज ड्रिल के दौरान सभी पी बी ओ आर इस सुविधा का लाभ उठा सकें ।

महत्त्वपूर्ण पोलिसी लैटर

सशस्त्र सेना कार्मियों के अपाहिज बच्चों के जीवन काल के लिए पेंशन

जटिल तौर तरीके / प्रक्रिया के कारण सशस्त्र सेना कर्मी अपने अपाहिज बच्चों को जीवनभर मिलने वाली पेंशन पाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे । इस प्रक्रिया को सरल व सुलभ बनाने के लिए सेना मुख्यालय द्वारा एक मामला सामने लाया गया था । इस संदर्भ में पत्रांक PCMF - AIR HQ / 24229 / 283 / PPHC / DBACR3(1)/582/A/D(Pen/ Sers) दि. 29/11/2005 के तहत निम्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए सरकारी आदेश जारी किये गये हैं -

(क) ब्रिगेडियर या उच्च रैंक के मेडीकल अफसर आवश्यक प्रमाण देने के लिए अधिकृत होंगे ।

(ख) न्यायालय के स्थान पर पेंशनर द्वारा अभिभावक को नामांकित किया जायेगा । अगर पेंशनर द्वारा अपने जीवन काल में ऐसे नामांकन को नही किया गया हो तो ऐसा नामांकन मृतक की पत्नी द्वारा किया जाना चाहिए ।

(ग) अपाहिज बच्चे का नाम सर्विस / फेमिली पेंशन दिये जाने की स्वीकृति के लिए पी पी ओ में अंकित होना चाहिए ।

नोट : उक्त प्रावधानों के अनुपालन के लिए विस्तृत जानकारी अलग से सी जी डी ए द्वारा जारी की जायेगी ।

भूतपूर्व पीबीओआर / विधवाओं के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना - माननीय प्रधानमंत्री ने एक वित्तीय वर्ष में 5000 छात्रवृत्तियों को स्वीकृति प्रदान की है जिनमें से 4000 मामले केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के लिए और शेष 1000 मामलों को अन्य फोर्सज् जैसे आर पी एफ, बी एस एफ, आइ टी बी पी आदि में बाँट दिया जायेगा। हर केस को तीन से पाँच वर्ष के लिए, सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं / कालेजों द्वारा संचालित कोर्सों पर निर्भर हैं, 1000/- रु. प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जायेगी। यह अनुदान राष्ट्रीय रक्षा फण्ड से रिलीज किया जायेगा। यह योजना अगले वित्त वर्ष से प्रभावी होगी ।

सिविल में अच्छा कार्य कर रहे भूतपूर्व सैनिकों की गणना :-

उन सभी भूतपूर्व सैनिकों की गणना की जा रही है जो सिविल में अच्छे रोजगार में जुटे हैं और / या स्वतः ही एक अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे वे अभी सेवानिवृत्त हो रहे सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करा सकें। ऐसे सभी भूतपूर्व सैनिक, जो सेवा निवृत्त हो रहे सैनिकों को रोजगार दिलाना चाहते हैं, अपने डिटेल सचिव, बी एस ए को पत्र द्वारा / ई मेल द्वारा भेज सकते हैं।

Appendix 'A' to BSA Education Scholarship Scheme

BOMBAY SAPPPERS ASSOCIATION (BSA)

EDUCATION SCHOLARSHIP

1. I request that my under mentioned child whose particulars are given below may kindly be considered for the grant of above scholarship :-

Name of the Child	Age & Date of Birth	Male or Female	Class		School in which studying
			Passed	Studying	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

Percentage of (average) marks obtained in the final exam of the Class passed (Attach mark sheet duly CTC attested by the OC Unit or Photostat copy	Remarks
(g)	(h)

1. No, Rank & name of the BSA members.
2. Membership No.
3. Unit/ Address.
4. Full particulars of my bankers are as under :-
   Name of Bank :
   Full Postal Address including branch name,
   Street town and so on :
   Nature of account :
   Account Number :

Station : Yours faithfully

Dated :

Appendix 'B' to BSA Education Scholarship Scheme

____

(Name of School)

1. This is to certify that Master/Miss ________________ Son/Daughter________________ (here mention No, Rank, Name of the Offrs/JCOs/ORs) has been bonafide student of this School during the academic year________________ which started on ________________ and ended on________________

2. He/She is still studying or left the institution on________________
3. His or her date or birth as per record is________________
4. His or her conduct during the above period was________________

Place : Signature________________

(Headmaster or Principal)

Date : (Rubber Stamp)

BOMBAY SAPPERS ASSOCIATION (BSA)

MEMBERSHIP FORM

To,
The Chairman
The Bombay Sappers Association
Bombay Engineer Group & Centre
Kirkee, Pune - 411 003.

Photograph
2 x 2.4 cms.

(Enclose two Photographs)

Sir,

Kindly fill in the details, as applicable

1. Number, Rank & Name :
2. Retired / Serving : 3. Unit :
4. Date of Birth : 5. Age :
6. Married / Single :

7. Address :

a) Unit :

b) Permanent : Vill PO Tehsil
Distt State Pin
Tele No. Email

Family Details

Name	Date of Birth	Relationship	Remarks

Declaration : I hereby declare that I have joined BSA voluntarily and I shall abide by the Rules and Regulations and their amendments issued from time to time.

Place :

Date : (Signature of Applicant)

RATE OF SUBSCRIPTION OF LIFE MEMBERSHIP

Age	Offrs	Jcos	Or
Above 70 Yrs	500	350	250
Between 60 and 70 Yrs	700	500	350
Bellow 60 Yrs	1000	800	600

Subscription may please be paid in Cash / DD / Cheque in favour of Bombay Sappers Association payable at Pune. Rs. 60/- may please be added in case the subscription is paid by outstation cheque.

Cut here